RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

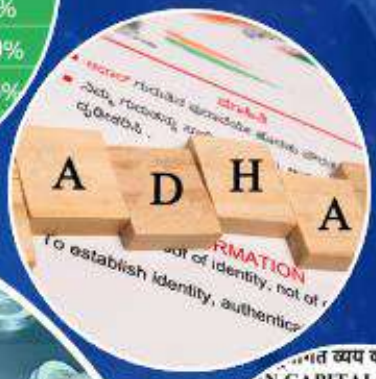

DATE
फरवरी
03
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

केंद्रीय बजट 2025-26 / Union Budget 2025-26

संदर्भ:

वित्त मंत्री **निर्मला सीतारमण** ने संसद में **केंद्रीय बजट 2025-26** पेश किया, जो उनका लगातार **आठवां बजट** है। इस बजट में **गरीब, युवा, किसान और महिला** के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है।

- बजट में **कृषि, MSME, निवेश और निर्यात** को विकास के प्रमुख इंजन बताया गया है, जो **सुधारों (Reforms)** के ईंधन से प्रेरित होकर **विकसित भारत (Viksit Bharat)** की यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।
- केंद्रीय बजट **2025-26**, **"सबका विकास"** थीम के साथ प्रस्तुत किया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन:

1. कृषि (Agriculture):

- **PM धन-धान्य कृषि योजना** – उत्पादकता, भंडारण और सिंचाई में वृद्धि।
- **दालों में आत्मनिर्भरता** – तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान, खरीद समर्थन।
- **किसान क्रेडिट कार्ड लोन** – सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख।
- **नई योजनाएँ** – उच्च उपज वाले बीज, कपास उत्पादकता, फल और सब्जियों पर ध्यान।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs):

- **MSME सीमा वृद्धि** – निवेश और टर्नओवर की उच्च सीमा।
- **₹2 करोड़ लोन योजना** – 5 लाख SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए।
- **मेक इन इंडिया प्रोत्साहन** – राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और खिलौना उद्योग को बढ़ावा।

3. निवेश (Investment):

- **50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स** – सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा।
- **ग्रामीण स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड** – भारतनेट योजना के तहत।
- **₹1.5 लाख करोड़** – राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज-मुक्त ऋण।
- **₹1 लाख करोड़ शहरी चुनौती कोष** – स्मार्ट सिटी और पुनर्विकास परियोजनाएँ।
- **₹20,000 करोड़ R&D के लिए** – निजी क्षेत्र में नवाचार और एआई विकास।

4. निर्यात (Exports):

- **निर्यात प्रोत्साहन मिशन:** MSMEs को वैश्विक बाजारों में प्रवेश दिलाने पर फोकस।
- **BharatTradeNet (BTN):** डिजिटल व्यापार अवसंरचना को मजबूत बनाना।
- **नाशवंत कृषि निर्यात और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को समर्थन।**

केंद्रीय बजट 2025-26: प्रमुख घोषणाएँ

कराधान और वित्तीय सुधार (Taxation and Financial Reforms)

- **प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes):** ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर **कोई आयकर नहीं**। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा **₹12.75 लाख** तक बढ़ी।
- **TDS (Tax Deducted at Source) में बदलाव:** किराए पर **TDS सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख** की गई, जिससे कर अनुपालन का बोझ घटेगा।
- **कर रिटर्न (Tax Returns):** अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा **2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष** की गई, जिससे स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

मौलिक सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) छूट:

- **36 जीवनरक्षक दवाएँ** (कैंसर, पुरानी बीमारियों और दुर्लभ रोगों के लिए) **पूरी तरह सीमा शुल्क मुक्त**।
- **लिथियम-आयन बैटरी निर्माण** (ईवी और मोबाइल उपकरणों के लिए) पर छूट, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा।
- **टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के घटकों पर सीमा शुल्क छूट**, आयात पर निर्भरता कम करने हेतु।

नई योजनाएँ:

- **PM स्वनिधि:** UPI-सक्षम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **₹30,000 तक के लोन** की सुविधा बढ़ाई गई।
- **ज्ञान भारतम मिशन: 1 करोड़ पांडुलिपियों (manuscripts) के सर्वेक्षण और संरक्षण** हेतु मिशन।
- **न्यूक्लियर एनर्जी मिशन:** छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए **₹20,000 करोड़ आवंटित**।
- **संशोधित उड़ान (UDAN) योजना: 120 नए क्षेत्रीय हवाई संपर्क गंतव्य** जोड़े गए।
- **₹15,000 करोड़ SWAMIH फंड: 1 लाख रुकी हुई आवासीय इकाइयों** को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता।
- **गिग वर्कर्स समर्थन:**
  - **पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण**।
  - **PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ**।

UIDAI ने आधार प्रमाणीकरण के लिए नए नियम अधिसूचित किए / UIDAI Notifies New Rules for Aadhar Authentication

संदर्भ:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (**UIDAI**) ने हाल ही में **"आधार प्रमाणीकरण फॉर गुड गवर्नेंस (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025"** अधिसूचित किए हैं।

- इन नियमों के तहत **निजी संस्थाओं** को आधार प्रमाणीकरण सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, जो **प्रस्ताव की मंजूरी** के आधार पर प्रदान की जाएगी।

2025 संशोधन की प्रमुख बातें:

आधार प्रमाणीकरण के दायरे का विस्तार:

- सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को **विशिष्ट जनहित सेवाओं** के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयोग करने की अनुमति।
- यह **ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) और स्वास्थ्य सेवा** क्षेत्रों तक विस्तारित होगा, जिससे सरकारी पहलों से परे सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।

सुविधाजनक जीवन एवं सेवा वितरण में सुधार:

- आधार प्रमाणीकरण से **नागरिकों के लिए सेवा उपलब्धता आसान** होगी, जिससे **प्रशासनिक जटिलताएँ और देरी** कम होंगी।
- यह **सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच भरोसेमंद लेनदेन** सुनिश्चित करेगा।

आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की स्वीकृति प्रक्रिया:

- इच्छुक संस्थाओं को **सम्बंधित मंत्रालय या विभाग के पोर्टल** के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** इन आवेदनों की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें प्रदान करेगा।

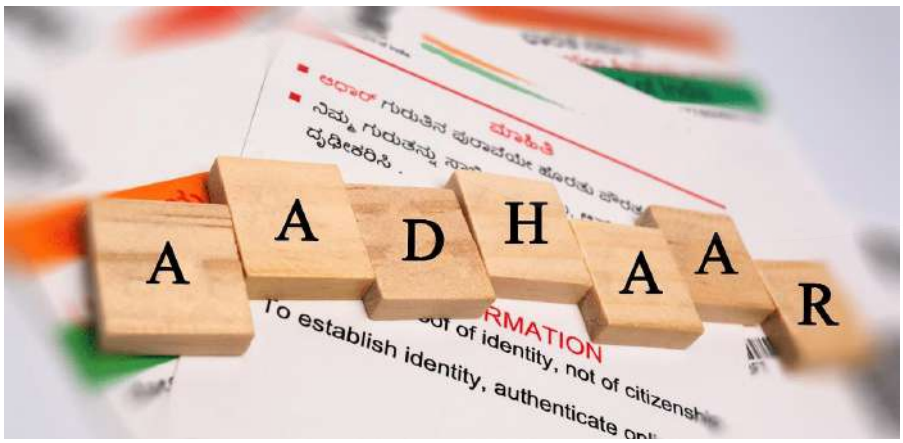

इन संशोधनों का महत्व:

बेहतर शासन और नवाचार:

- आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके **नवाचार डिजिटल समाधान** विकसित करने को प्रोत्साहन।
- सरकार और निजी संस्थाओं के बीच **सशक्त साझेदारी** को बढ़ावा, जिससे बेहतर शासन सुनिश्चित होगा।

विश्वसनीय लेनदेन (Trusted Transactions): आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से **सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता** के बीच सुरक्षित और भरोसेमंद लेनदेन की गारंटी।

कुशल सेवा वितरण (Efficient Service Delivery):

- **प्रक्रियाओं को सरल और तेज** बनाकर आधार-सक्षम सेवाओं की **तेजी से और कुशलतापूर्वक डिलीवरी** सुनिश्चित करना।
- संशोधन से **व्यक्तियों के लिए आधार-सक्षम सेवाओं की आसान पहुँच** बढ़ेगी।
- आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके **नवाचार डिजिटल समाधान** विकसित करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच **बेहतर प्रशासनिक समाधान** के लिए सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

आधार के बारे में:

- **आधार एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या** है, जिसे **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** जारी करता है।
- UIDAI एक **वैधानिक प्राधिकरण** है, जिसे **आधार अधिनियम, 2016** के तहत स्थापित किया गया है।

आधार डेटा संरचना:

- **जनसांख्यिकीय डेटा (Demographic Data):** नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता।
- **बायोमेट्रिक डेटा (Biometric Data):** फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, और चेहरे की तस्वीर।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7: सरकार **केंद्र या राज्यों के समेकित निधि (Consolidated Fund of India/States) से वित्त पोषित योजनाओं** के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य कर सकती है।

आधार मेटा डेटा (AADHAAR Meta Data): सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, आधार डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहीत नहीं किया जा सकता।

बजट 2025 में पूंजीगत व्यय आवंटन घटा / Capital Expenditure allocation decreased in Budget 2025

संदर्भ:

केंद्रीय बजट **2025** में **परिवहन, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे** को बढ़ावा देने के लिए **₹10.18 लाख करोड़** का पूंजीगत व्यय (**Capex**) आवंटित किया गया है। यह पिछले वर्ष के **₹11.1 लाख करोड़** के मुकाबले **8.4% कम** है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास को गति देने पर केंद्रित है।

पूंजीगत व्यय क्या है?

- **पूंजीगत व्यय (Capex)** वह राशि है, जिसे सरकार **मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास** पर खर्च करती है।

पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आने वाले खर्च:

- **स्थायी और अमूर्त संपत्तियों (Fixed & Intangible Assets) का अधिग्रहण**।
- **मौजूदा संपत्ति का उन्नयन (Upgrading Existing Asset)**।
- **मौजूदा संपत्ति की मरम्मत (Repairing Existing Asset)**।
- **ऋण की अदायगी (Repayment of Loan)**।

पूंजीगत व्यय का महत्व:

1. **विकास का निर्धारक (Determinant of Growth):**
   - पूंजीगत व्यय **लंबी अवधि की परिसंपत्तियों (Assets) के निर्माण** को बढ़ावा देता है।
   - इससे **राजस्व उत्पादन**, **श्रम भागीदारी** और **संचालन क्षमता (Operational Efficiency)** में वृद्धि होती है।
2. **गुणक प्रभाव (Multiplier Effect):**
   - सरकार का **उत्पादक पूंजीगत व्यय** पर ध्यान **अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर अधिक प्रभाव** डालता है।
   - यह विशेष रूप से **उपभोक्ता खर्च में कमजोरी** के समय आर्थिक गति बनाए रखने में सहायक होता है।
3. **उपभोग मांग को प्रोत्साहित करना (Stimulate Consumption Demand):**
   - वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था **स्थिर उपभोक्ता खर्च** का सामना कर रही है।
   - **केंद्रित पूंजीगत व्यय** उपभोक्ता मांग को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

भारत में वर्तमान पूंजीगत व्यय (Capex) की स्थिति:

सरकारी पूंजीगत व्यय

- केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय **FY19 में 1.6% GDP से बढ़कर FY25 में अनुमानित 3.4% GDP** तक पहुँच गया है।
- **राज्यों का पूंजीगत व्यय** भी FY25 में **2.6% GDP तक बढ़ने की उम्मीद** है, जो महामारी-पूर्व स्तर से अधिक है।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में वृद्धि: FY24 में **GFCF बढ़कर 30.8% GDP** हो गया, जो **2015-2019 के 28.9% औसत** से अधिक है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

- **सकल FDI प्रवाह** अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान **$48.6 बिलियन** रहा, जो पिछले वर्ष के **$42.1 बिलियन** से अधिक है।
- हालांकि, **लाभ की अधिक पुनर्बहाली (Repatriation of Profit)** के कारण **शुद्ध FDI प्रवाह धीमा** रहा।
- हाल ही में **FPI का बहिर्वाह (Outflow)** बढ़ने से **रुपये पर मूल्यह्रास (Depreciation) का दबाव** देखा गया।

पूंजीगत व्यय (Capex) से जुड़ी चुनौतियाँ:

आर्थिक चुनौतियों के बीच सतर्क खर्च

- **प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs)** ने **H1FY25 में पूंजीगत व्यय में 10.8% की गिरावट** दर्ज की।
- यह उनके **वार्षिक लक्ष्य के केवल 43.6%** तक ही पहुँच पाया।

राज्यों द्वारा अपर्याप्त उपयोग: पिछले वित्तीय वर्ष में, **राज्यों ने बजट में आवंटित ₹1.3 लाख करोड़ में से केवल ₹1.1 लाख करोड़** का उपयोग किया।

निजी क्षेत्र का कमजोर पूंजीगत व्यय: निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय अब तक **मजबूत वृद्धि नहीं दिखा सका**।

- इसके पीछे मुख्य कारण हैं:
  - **वैश्विक नीतिगत अनिश्चितताएँ**
  - **भू-राजनीतिक जोखिम**
  - **चीन से अधिक आपूर्ति**
  - **बढ़ती उधारी लागत**
  - **कमजोर घरेलू मांग**

कर्नाटक में गंभीर रूप से बीमार लोगों को सम्मानजनक मृत्यु की अनुमति / Karnataka allows dignified death for the terminally ill

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के तहत, जिसमें **गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार** दिया गया है, कर्नाटक ने इस निर्देश को लागू करने का निर्णय लिया है। **केरल के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य** है जिसने इस फैसले को लागू किया है।

सुप्रीम कोर्ट के निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर निर्देश:

कानूनी मान्यता (2018 और 2023 के फैसले):

- **2018 में**, सुप्रीम कोर्ट ने **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) को वैध कर दिया** और **सम्मानपूर्वक मृत्यु के अधिकार** को **अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी।
- **2023 में**, जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे इसे **संरचित और नैतिक तरीके से लागू किया जा सके**।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए शर्तें:

- केवल **असाध्य रूप से बीमार (Terminally Ill) मरीजों**, जिनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, के लिए अनुमति।
- तब लागू, जब मरीज **लगातार अचेतन अवस्था (Persistent Vegetative State)** में हो या **लंबे समय से असाध्य रोग से पीड़ित हो**।

पूर्व चिकित्सा निर्देश (Advance Medical Directive - AMD):

- कोई भी **सक्षम वयस्क (Competent Adult)** AMD बना सकता है, जिसमें वह **निर्णय लेने की क्षमता खोने की स्थिति में** अपनी **चिकित्सा प्राथमिकताएँ** निर्धारित कर सकता है।
- AMD में दो प्रतिनिधियों को नामित किया जा सकता है, जो मरीज की ओर से निर्णय लेंगे।

जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की स्वीकृति प्रक्रिया:

1. **अस्पतालों में दो मेडिकल बोर्ड गठित होंगे:**
   - **प्राथमिक मेडिकल बोर्ड** (तीन वरिष्ठ डॉक्टरों सहित)।
   - **द्वितीयक मेडिकल बोर्ड** (स्वतंत्र समीक्षा के लिए, इसमें भी तीन वरिष्ठ डॉक्टर होंगे)।
2. निर्णय में **जिला स्वास्थ्य अधिकारी** की भागीदारी आवश्यक।
3. अंतिम निर्णय के लिए **प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC)** की स्वीकृति अनिवार्य।
4. निर्णय की रिपोर्ट **उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार** को दी जाएगी।

इच्छामृत्यु (Euthanasia) क्या है?

- यह एक ऐसा कार्य है, जिसमें **असाध्य और अत्यंत पीड़ादायक रोग या विकार से ग्रस्त व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जाता है** ताकि उसकी पीड़ा दूर की जा सके।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):

- इसमें **गंभीर रूप से बीमार (Terminally Ill) मरीजों की जीवन रक्षक प्रणाली (Life-Sustaining Treatment - LST) को वापस लेना या रोक देना** शामिल है।
- यह उन मरीजों पर लागू होता है जो **लंबे समय से चिकित्सा उपचार में हैं, लेकिन उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और वे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं**।

सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia) बनाम निष्क्रिय इच्छामृत्यु:

- **सक्रिय इच्छामृत्यु:** किसी **गंभीर रूप से बीमार मरीज को जानबूझकर मारना**, आमतौर पर उसकी स्वेच्छा से अनुरोध पर।
- **भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु अवैध है**।

नीति और दिशानिर्देश:

- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** ने **"टर्मिनली इल मरीजों में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए दिशानिर्देश"** का मसौदा जारी किया है।

जीवन रक्षक प्रणाली (LST) हटाने के दिशानिर्देशों के प्रमुख बिंदु:

1. जीवन रक्षक प्रणाली (LST) हटाने की शर्तें: **निश्चित परिस्थितियों** में LST हटाने की अनुमति होगी, जैसे कि जब व्यक्ति को **ब्रेनस्टेम डेथ (Brainstem Death)** घोषित किया गया हो।

2. मेडिकल बोर्डों का गठन

- **प्राथमिक मेडिकल बोर्ड (PMB)** और **द्वितीयक मेडिकल बोर्ड (SMB)** गठित किए जाएंगे।
- **PMB के सदस्य सामूहिक सहमति से LST हटाने का प्रस्ताव देंगे**।
- **SMB को PMB के निर्णय को सत्यापित (Validate) करना होगा**।

3. नैतिक समिति (Clinical Ethics Committee) का गठन: **अस्पतालों में एक नैतिक समिति (Clinical Ethics Committee) बनाई जाएगी**, जो निम्नलिखित कार्य करेगी:

- मामलों का **ऑडिट**।
- **अनुश्रवण (Oversight)**।

पीएम धन-धन्य कृषि योजना / PM Dhan Dhanya Agriculture Scheme

संदर्भ:

1 फरवरी 2025 को **केंद्रीय वित्त मंत्री** ने **"पीएम धन-धन्य कृषि योजना"** की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य **कृषि उत्पादकता बढ़ाना** और **देशभर के 1.7 करोड़ किसानों** की आजीविका में सुधार करना है।

- इसके अंतर्गत **कम कृषि उत्पादकता वाले 100 ज़िलों को शामिल किया गया है**, जिससे **1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे,** फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।

पीएम धन-धन्य कृषि योजना:

- यह एक **नई योजना** है, जिसका उद्देश्य **100 कृषि संकटग्रस्त क्षेत्रों** में किसानों का समर्थन करना है।
- इन क्षेत्रों में **फसल उत्पादकता कम** है और किसानों को **वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ** होती हैं।

योजना की प्रमुख बातें:

- **राज्य सरकारों के सहयोग से** इस योजना के तहत **देश के 100 जिलों को कवर किया जाएगा**।
- लगभग **1.7 करोड़ किसान** इससे लाभान्वित होंगे।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा** देकर, **पलायन को मजबूरी के बजाय एक विकल्प** बनाने का लक्ष्य।

पाँच प्रमुख फोकस क्षेत्र:

1. कृषि उत्पादकता बढ़ाना।
2. सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना।
3. किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाना।
4. फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना।
5. ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाना।

बजट 2025: कृषि पर ध्यान-

1. दलहनों में आत्मनिर्भरता:

- सरकार **तूर, उड़द और मसूर** पर विशेष ध्यान के साथ **छह वर्षीय अभियान** शुरू करेगी।
- जलवायु-अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे।
- **नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF)** अगले चार वर्षों तक किसानों से अधिकतम मात्रा में दलहन खरीदने के लिए तैयार रहेंगे।

2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बढ़ी हुई सीमा: **7.7 करोड़ किसानों** के लिए **KCC की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख** कर दी गई।

3. उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन: **100+ उच्च उपज वाली और कीट-प्रतिरोधी बीज किस्मों** की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **अनुसंधान को मजबूत किया जाएगा**।

4. कपास उत्पादकता मिशन: **5 वर्षीय पहल** के तहत **सतत् कृषि, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन** और **गुणवत्ता सुधार** को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. बिहार में मखाना बोर्ड: **मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन** के लिए **बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा**।

6. फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम:

- **कुशल आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत** किया जाएगा।
- किसानों के लिए **बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित** किया जाएगा।

7. असम में यूरिया संयंत्र: कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए **ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (BVFCL)** परिसर में **12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र** स्थापित किया जाएगा।

मखाना बोर्ड / Makhana Board

संदर्भ:

केंद्रीय वित्त मंत्री **निर्मला सीतारमण** ने **1 फरवरी 2025** को **केंद्रीय बजट** पेश करते हुए **बिहार में "मखाना बोर्ड"** स्थापित करने की घोषणा की। यह बोर्ड **मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन** को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह **मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ** दिलाने में सहायता करेगा।

मखाना (Makhana) के बारे में:

- मखाना को **फॉक्स नट्स, यूरियाले फेरॉक्स, कमल के बीज, गॉर्गन नट्स और फूल मखाना** के नाम से भी जाना जाता है।
- **वानस्पतिक नाम** - *Euryale ferox Salisb*।
- यह एक **जलीय फसल** है और **निम्फेसी (Nymphaeaceae) परिवार** से संबंधित है।

मखाना की खेती:

- मखाना का व्यावसायिक रूप से उत्पादन **स्थिर जल निकायों** जैसे **तालाब, दलदल, ऑक्सबो झीलें, गड्ढे और निम्नभूमि क्षेत्रों** में किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से **गर्म, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु** में अच्छी तरह पनपता है।
- किसान इसे **उथले पानी में बोते हैं**, और पौधों को **फूल और बीज विकसित करने तक बढ़ने** दिया जाता है।

मखाना की कटाई (Harvesting):

- कटाई आमतौर पर **गर्मी के महीनों** में होती है।
- परिपक्व बीजों को **जल से एकत्र किया जाता है**, फिर उन्हें **सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है।**
- **बीजों को भूनकर (Roasting) और पॉप करके (Popping)** उनकी कठोर बाहरी परत हटाई जाती है।
- यह प्रक्रिया **मखाने को हल्का, कुरकुरा और खाने योग्य रूप** में बदलने के लिए आवश्यक होती है।

बिहार: भारत में मखाना उत्पादन का केंद्र:

- **बिहार भारत के मखाना उत्पादन का लगभग 90% योगदान देता है।**
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के 2020 के अनुसार, **बिहार में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना उगाया जाता है**, जिससे **10,000 टन पॉप्ड मखाना (Fox Nuts) का उत्पादन होता है।**
- **उत्पादन केंद्र:** बिहार के **9 जिलों** में मखाना की खेती केंद्रित है -
    - **दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी।**
    - इनमें से **दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार** मिलकर **बिहार के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान** देते हैं।

भारत और वैश्विक बाजार में मखाना

- बिहार के अलावा, मखाना का सीमित उत्पादन **असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा** में भी होता है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मखाना **नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया** में उगाया जाता है।
- **वैश्विक मखाना बाजार 2023 में $43.56 मिलियन का था**, और **2023-2033 के बीच 8.31% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 2033 तक $100 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।**

बजट 2025 में मखाना बोर्ड की घोषणा का महत्व

बिहार की चुनौतियाँ:

- **सबसे बड़ा उत्पादक** होने के बावजूद, बिहार **मखाना बाजार में पिछड़ा** है।
- **भारत के सबसे बड़े निर्यातक पंजाब और असम** हैं, जबकि **पंजाब मखाना का उत्पादन तक नहीं करता।**
- **मुख्य कारण:**
    - **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभाव** - बिहार में कच्चे मखाने की सस्ती बिक्री होती है।
    - **निर्यात अवसंरचना की कमी** - राज्य में कार्गो होल्ड जैसी सुविधाएँ नहीं हैं।

कम उत्पादकता: मखाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती

- बिहार में मखाना की खेती **अत्यंत श्रम-प्रधान और कठिन प्रक्रिया** है, जिससे इसकी लागत अधिक हो जाती है।

मखाना बोर्ड कैसे मदद करेगा?

- **₹100 करोड़ के बजट** से **खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात अवसंरचना** का विकास होगा।
- **किसानों को प्रशिक्षण** और **निर्यात-उन्मुख उत्पादन** में सहायता मिलेगी।
- **खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुकूल वातावरण** तैयार किया जाएगा।

नए रामसर स्थल / New Ramsar Sites

संदर्भ:

वर्ल्ड वेटलैंड्स डे (2 फरवरी) से पहले, भारत की **चार और आर्द्रभूमियों** को **रामसर साइट्स** के रूप में मान्यता मिली है। इसके साथ, भारत में अब कुल **89 वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वेटलैंड्स** हो गए हैं।

नई रामसर साइट्स:

- **सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य** – तमिलनाडु
- **थेरथंगल पक्षी अभयारण्य** – तमिलनाडु
- **खेचियोपालरी वेटलैंड** – सिक्किम
- **उधवा झील** – झारखंड

भारत के नए रामसर स्थल:

भारत का विकास: भारत ने चार नए रामसर स्थलों को जोड़ा, जिससे कुल संख्या 89 हो गई है। अब, भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है और दुनिया में तीसरे नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम (176) और मेक्सिको (144) के बाद।

मुख्य तथ्य:

- ये स्थलों 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हैं।
- रामसर स्थल पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भारत का यह कदम पर्यावरणीय संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देगा।

रामसर स्थल और उनका संरक्षण:

1. **रामसर स्थल क्या हैं?**
   - आर्द्रभूमियाँ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है।
   - इन्हें रामसर सूची में शामिल किया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है।
2. **रामसर सम्मेलन:**
   - आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
   - यह एकमात्र वैश्विक संधि है जो एक ही पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है।
   - सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और 1975 में लागू हुआ।
   - भारत में यह 1982 में लागू हुआ।
   - **2 फरवरी** को **विश्व आर्द्रभूमि दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
   - सचिवालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में स्थित है।
3. **भारत में रामसर स्थल:**
   - पहले रामसर स्थल: **चिल्का झील (ओडिशा)** और **केओलादेओ नेशनल पार्क (राजस्थान)** (1981 में नामित)।
   - **सबसे बड़ा रामसर स्थल: सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)** - 4230 वर्ग किमी.
   - **सबसे छोटा रामसर स्थल: रेणुका आर्द्रभूमि (हिमाचल प्रदेश)** - 0.2 वर्ग किमी.
4. **संरक्षण के लिए कानून:**
   - आर्द्रभूमियाँ भारत में **भारतीय वन अधिनियम (1927)**, **वन (संवर्धन) अधिनियम (1980)**, **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986)**, और **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972)** के तहत संरक्षित हैं।
5. **रामसर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया:**
   - **MoEFCC** (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) नोडल मंत्रालय है।
   - संबंधित राज्य सरकार MoEFCC को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव भेजती है।
   - MoEFCC द्वारा अनुमोदन के बाद, प्रस्ताव रामसर सचिवालय को भेजा जाता है।
   - यदि स्थल मानदंडों को पूरा करता है, तो इसे **"अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची"** में शामिल किया जाता है और रामसर स्थल के रूप में नामित किया जाता है।

आर्द्रभूमियाँ क्या हैं?

रामसर सम्मेलन के अनुसार, आर्द्रभूमियाँ वे क्षेत्र होते हैं जो निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आते हैं:

1. **मर्श (Marsh), फेन (Fen), पीटभूमि (Peatland)** या **जल (Water)** क्षेत्र, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी।
2. ये क्षेत्र स्थिर या प्रवाहमान जल, मीठे पानी, खारे पानी या खारे जल वाले होते हैं, जिसमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ निम्न ज्वार पर पानी की गहराई छह मीटर से अधिक नहीं होती।
3. आर्द्रभूमियाँ भूमि (terrestrial) और जल (aquatic) पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमण क्षेत्र होती हैं।

आर्द्रभूमियों का महत्व

1. **जल का स्रोत:** आर्द्रभूमियाँ वर्षा के पानी को अवशोषित करती हैं और भूजल को पुनः चार्ज करने में मदद करती हैं।
2. **बाढ़ और तूफान से सुरक्षा:** ये स्पंज की तरह काम करती हैं, वर्षा और हिमपात के पानी को अवशोषित करती हैं और इसे धीरे-धीरे मिट्टी में रिसने देती हैं, जिससे बाढ़ के खतरे को कम किया जाता है।
3. **जल शुद्धिकरण:** आर्द्रभूमियाँ अवशेषों और पौधों में प्रदूषकों को फंसा देती हैं, जैसे कि कृषि अपवाह से निकलने वाले फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को कम करती हैं।
4. **प्रवासी पक्षियों के लिए आवास:** आर्द्रभूमियाँ प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन, विश्राम और घोंसला बनाने की जगह प्रदान करती हैं।
5. **जैव विविधता के हॉटस्पॉट:** कई आर्द्रभूमियाँ कई प्रकार की विशिष्ट और संकटग्रस्त प्रजातियों का घर होती हैं।

भारत में बाघों की जनसंख्या / Tiger Population in India

संदर्भ:

एक नए अध्ययन के अनुसार, **भारत में बाघों की आबादी पिछले दो दशकों में 30% बढ़ी है** और **पिछले दस वर्षों में दोगुनी** हो गई है। यह **बाघ संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों** की बड़ी सफलता को दर्शाता है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. **प्रभावी संरक्षण रणनीतियाँ:**
   - भारत ने भूमि-साझाकरण (जहां बाघ मानवों के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं) और भूमि-संरक्षण (जिन क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप नहीं होता) का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है।
   - 85% प्रजनन बाघ इन संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो बाघों के प्रजनन के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं।
2. **कानूनी संरक्षण:**
   - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम** – बाघों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
   - **वन संरक्षण अधिनियम** – बाघों के आवासों को नष्ट होने से रोकता है।
   - **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** – संरक्षण प्रयासों की निगरानी करने वाली एक समर्पित संस्था।
3. **सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारक:**
   - उन क्षेत्रों में जहां आर्थिक स्थिति बेहतर है और जंगलों पर निर्भरता कम है, वहां बाघों की पुन: उपस्थिति देखी गई है।
   - हालांकि, गरीबी, सशस्त्र संघर्ष (जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में), और आवासों का विनाश कुछ क्षेत्रों में बाघों की जनसंख्या में गिरावट का कारण बने हैं।

भारत में वर्तमान बाघों की जनसंख्या:

1. **कुल बाघों की संख्या (2022 अनुमान):**
   - न्यूनतम: 3,167 बाघ।
2. **विस्तृत आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार:**
   - उच्चतम सीमा: 3,925 बाघ।
   - औसत जनसंख्या: 3,682 बाघ।
3. **वृद्धि दर:**
   - बाघों की वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है, जो लगातार प्रगति को दर्शाता है।

भविष्य की चुनौतियाँ और सुझाव:

चुनौतियाँ:

1. **अविकसित बाघ आवास:** 157,000 वर्ग किमी संभावित बाघ आवास राजनीतिक अस्थिरता और आवासीय हानि के कारण अनुपयोगी रह गया है।
2. **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** यह लगातार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सुधार के लिए सुझाव:

1. **संरक्षित क्षेत्रों और आवासीय गलियारों का विस्तार:** बाघों के लिए नए सुरक्षित क्षेत्र और आवासीय गलियारों को बढ़ाया जाए।
2. **विरोधी शिकार उपायों को मजबूत करना:** बाघों की रक्षा के लिए शिकार विरोधी उपायों को और सख्त किया जाए।
3. **स्थायी आजीविका का संवर्धन:** स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएं।
4. **संघर्ष निवारण रणनीतियाँ सुधारें:**
   - **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ** विकसित की जाएं।
   - **तेज प्रतिक्रिया टीमें** तैयार की जाएं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के बारे में:

1. **संरचना:** NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** की सक्षम धाराओं के तहत गठित किया गया है।
2. **NTCA के उद्देश्य:**
   - **प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना:** ताकि इसके निर्देशों का पालन कानूनी रूप से अनिवार्य हो सके।
   - **केंद्र-राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देना:** बाघ अभ्यारण्यों के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) का आधार प्रदान करना।
   - **संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करना:** बाघ संरक्षण प्रयासों पर संसद की निगरानी सुनिश्चित करना।
   - **स्थानीय लोगों के आजीविका हितों को संबोधित करना:** बाघ अभ्यारण्यों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों के आजीविका हितों का समाधान करना।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

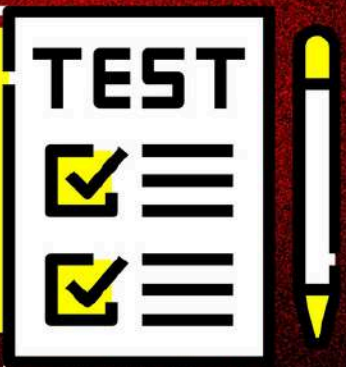

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !